# नीलामी संबंधी सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के अधीन बेकार पड़े सामग्रियों की, जहाँ है जैसा है, हालत में खुले डाक द्वारा नीलामी पर्षद् समिति के देख-रेख में निर्धारित तिथि एवं समय पर की जायेगी:-

| क्रम सं० | विवरणी | | निर्धारित न्यूनतम मूल्य | नीलामी की तिथि एवं समय | नीलामी का स्थल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पुराने वाहन | पंजीयन संख्या | | 10-10-2018 3:00 बजे अपराह्न | बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, परिवेश भवन, एन.एस. बी-2, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, सदाकत आश्रम, पटना-10 |
| | (i) टाटा सुमो | BR1P 1793 | 31,000/- | | |
| | (ii) जिप्सी | BPL 9758 | 11,000/- | | |
| | (iii)ओमनी भान | BIA 3910 | 10,000/- | | |
| | | | कुल-52,000/- | | |
| 2 | विभिन्न प्रकार के मेटल स्कैप, प्रयोगशाला के अनुपयोगी उपस्करों / संयंत्रों, रद्दी कागज | | 1,80,670/- | " | |
| 3 | लकड़ी का टेबुल/कुर्सी आदि | | 69,710/- | '' | |

प्रस्तावित नीलामी में भाग लेने के पहले अगर कोई क्रेता उपरोक्त सामग्री का निरीक्षण करना चाहते हों, तो वे पर्षद् के क्षेत्रीय पदाधिकारी के मो0 सं0-9451071744 पर सम्पर्क कर दिनांक 08.10.2018 एवं 09.10.2018 को 10:00 बजे पूर्वाह्न से 2:00 बजे अपराह्न के बीच शास्त्रीनगर, पटना स्थित बेल्ट्रॉन भवन परिसर में उपस्थित होकर निरीक्षण कर सकते हैं।

### :-नीलामी की शर्त्तें निम्न प्रकार है:-

1. सिर्फ वाहनों की निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमानत के रूप में 13,000/-रुपया जमा करना होगा।
2. सिर्फ मेटल स्कैप, प्रयोगशाला के अनुपयोगी उपस्करों/संयंत्रों एवं रद्दी कागज की नीलामी में भाग लेनेवाले व्यक्ति को जमानत के रूप में 45,000/- रुपया जमा करना होगा।
3. सिर्फ लकड़ी के टेबुल, कुर्सी आदि की निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की जमानत की राशि रुपया 17,500/-रु0 जमा करना होगा।
4. उपरोक्त सभी (क्रम सं0- 1, 2 एवं 3) के लिये भाग लेने पर जमानत के रुप में कुल रुपया 85,500/-रु0 का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
5. जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट् के माध्यम से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के नाम से भुगतेय होगा।

6. जिस व्यक्ति को निलामी नहीं मिलेगी उसे जमानत की राशि स्थल पर ही लौटा दी जायेगी।
7. नीलामी में भाग लेनेवाले व्यक्ति को अपना परिचय पत्र भी देना होगा, जिसमें पैन कार्ड मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि हो सकता है।
8. नीलामी में भाग लेते समय उनके परिचय पत्र के आधार पर जमा राशि को देखने के उपरांत ही भाग लेने दिया जायेगा।
9. अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा बोली लगायी गयी राशि का बैंक ड्राफ्ट एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा, तत्पश्चात ही वाहनों/उपस्करों को ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
10. उच्चतम बोली लगाने वाले प्रतिभागी अगर ससमय राशि जमा नहीं कर पाते हैं, तो उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. नीलामी किये गये उपरोक्त वाहनों/उपस्करों को 10 दिनों के अन्दर हटाना होगा।
12. नीलामी किये गये वाहनों/उपस्करों को हटाकर ले जाने हेतु किसी प्रकार की मजदूरी या ढुलाई पर्षद् से देय नहीं होगी।
13. बिना कारण बताये निलामी रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

सदस्य-सचिव


BIHAR

**बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्**

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना - 800 010

दूरभाष नं०- 0612-2261250/2262265, फैक्स- 0612-2261050

ई-मेल-bspcb@yahoo.com, वेबसाईट- http://bspcb.bih.nic.in